न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 74/14 (वाद)
GCMS No. : 2014/00515

अनवान

1. श्री चुन्नीलाल पिता जयकिशन जी जाति नाई आयु 70 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री नानालाल पिता जयकिशन श्जी जाति नाई आयु 65 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री कमलेश पिता स्व. श्यामलाल जी जाति नाई आयु 35 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री सन्तोष पिता स्व. श्यामलाल जी जाति नाई आयु 29 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती शान्तीबाई पत्नी स्व. श्यामलाल जी जाति नाई आयु 23 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
6. कान्ता पुत्री स्व. श्यामलाल जी जाति नाई आयु 32 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
7. भंवरीबाई पुत्री जयकिशन जी जाति नाई आयु 75 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)

.....वादीगण

बनाम्

1. रोड़ा पिता कालु जी जाति भील, आयु 70 वर्ष, निवासी पलानकला, तहसील मावली जिला उदयपुर। (राज.)
2. नाथु पिता कालु जी जाति भील, आयु 65 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
3. खेमा पिता कालु जी जाति भील, आयु 50 वर्ष, निवासी पलानाकलॉ, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.) तर्क किया
4. इन्द्रमल पिता स्व. लालु जी जाति भील, आयु 45 वर्ष, निवासी पलानाकलॉ, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
5. पेमा पिता स्व. लालु जी जाति भील, आयु 40 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिल्ला उदयपुर (राज.) तर्क किया।
6. उदा पिता स्व. लालु जी जाति भील, आयु 35 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
7. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय मावली जिला उःगपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज.)
9. पटवारी पटवार हल्का पलानाकला तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

10. गुलाबीबाई पुत्री कालु जी पत्नी उदा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पलानाकला, हा० भारोड़ी, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज)
11. जुमाबाई पुत्री स्व.लालु जी पत्नी पेमा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पलानाकला, हा० छठठा मिल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजभमन्द (राज.)
12. राजुड़ीबाई पत्नी स्व. लालु जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री देवाराम डांगी, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रतिवादीगण ।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 29.10.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पलानाकलां, पटवार क्षेत्र पलानाकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 169, 170, 171, 172, 173, 175, 3351/168 किता 7 कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं. 1 से 6 के पिता/दादा कालु पिता भगा भील के नाम पर अंकित है। कालु पिता भगा भील का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 6 है। उक्त वर्णित आराजीयात के पुराने साबिक नम्बर 37 रकबा 1 बीघा, 41 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, 43 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा है। यह कि वादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है

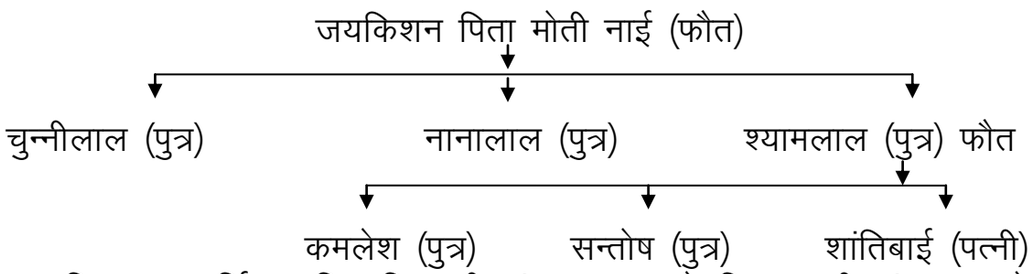

2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी संख्या 1, 2 के पिता, वादी संख्या 4 के दादा एवं वादी संख्या 5 के ससुर श्री जयकिशन पिता मोती नाई ने दिनांक 15.01.1949 को 99/– रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया और तब से लगायत

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

आज तक अपने पिता/दादा/ससुर के समय से काबिज हो काश्त करते आ रहे है।

3. यह कि दिनांक 15.01.1949 को तत्कालीन खातेदार कालु पिता भगा जी भील से 99/— रूपये में साबिक आराजी नं. 37 रकबा 1 बीघा, 41 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, 43 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा जमीन नामी निमडा की डांग जिसके पडौस उगमणाऊ पड़त सरकारी व उदा जी तेली का विड़ा को, धराऊ पडत सरकारी, आतमणाऊ भाई लखुडा जी को, लकाऊ बादशाहीपत नाथद्वारा को। उक्त पडौसान मध्य स्थित जमीन को वादी संख्या 1, 2 के पिता, वादी संख्या 3. 4 के दादा एवं वादी संख्या 5 के ससुर श्री जयकिशन पिता मोती जी नाई ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया और तब से ही हम वादीगण व हमारे पूर्वज इस पर काबिज हो काश्त करते आ रहे है। तत्कालीन खातेदार ने वादी संख्या 1, 2 के पिता, वादी संख्या 3, 4 के दादा एवं वादी संख्या 5 के ससुर श्री जयकिशन पिता मोती जी नाई को उक्त वाद वर्णित जमीन विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से लेकर अब तक हमारे पूर्व एवं हम वादीगण काश्त करते आ रहे है। हम वादीगणों की यह एकमात्र जमीन है और हम वादीगणों के परिवार का भरण पोषण करने का एकमात्र साधन है जो हमारे पूर्वज ने अपने जीवनभर की कमाई से खरीदी है। हम वादीगण व हमारे पिता/दादा/ससुर उक्त वाद वर्णित जमीन पर सन 1949 से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इस आधार पर हम वादीगण खरीदसुदा भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है।

4. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात को खातेदार कालु पिता भगा जी से हम वादी संख्या 1, 2 के पिता, वादी संख्या 3, 4 के दादा एवं वादी संख्या 5 के ससुर श्री जयकिशन पिता मोती जी नाई ने दिनांक 15.01.1949 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है और पिछले 65 वर्षों से उक्त आराजीयात पर हम वादीगण एवं हमारे पूर्वजों के कब्जे काश्त में है जिसपर हम वादीगण रहकर कृषि कार्य करते आ रहे है। पिछले 65 वर्षों से प्रतिवादी सं. 1 से 6 का कभी कोई कब्जा नही रहा है और न ही कालु पिता भगा भील के जीवनकाल में ही विक्रय उपरान्त कभी कब्जा रहा है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट. की धारा 63 में स्पष्ट वर्णित है कि खातेदार का कब्जा नही होने से उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

है और प्रतिवादी सं. 1 से 6 व इनके पूर्वजो का पिछले 65 वर्षों से उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर कभी कब्जा नही रहा है इसलिये कानूनन उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाते है। इसलिये हम वादीगण खातेदार कालु भील का नाम राजस्व रेकर्ड से हटवाने के अधिकारी है तथा उक्त जमीन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभावी होने से पूर्व क्रय की गयी है जिससे इस भूमि के हस्तान्तरण / विक्रय के दस्तावेज पर उक्त अधिनियम का कीट प्रभाव नही पड़ता है।

5. यह कि हम वादीगण का प्राइमाफैशी केस है क्योंकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर हम वादीगण व हमारे पूर्वज का 65 वर्षों से भी अधिक समय से निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। सुविधा संतुलन भी हम वादीगण के पक्ष में है क्योंकि उक्त आराजीयात पर पिछले 65 वर्षों से कृषि कार्य करते आ रहे है एवं उपयोग उपभोग कर रहे है और यदि प्रतिवादीगण जबरन उक्त आराजीयात अपने नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करा नाजायज लाभ उठाकर उक्त आराजीयात को किसी अन्य को विक्रय कर देगें तो हम वादीगण अपने कब्जे व क्रय सुदा भूमि से वंचित हो जायेगे। इसलिये हम वादीगण प्रतिवादी सं. 1 से 6 के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात का हम वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे, उक्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, हम वादीगण को बेदखल नही करे, न कब्जा करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अगर प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो वादीगण को भारी क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। स्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी सं. 1 से 6 को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी वादीगण के पक्ष में है।

6. यह कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 04. 03. 2014 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी सं. 1 से 6 मौके पर आये और कृषि भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

को उनके नाम दर्ज करा विक्रय करने की धमकी दी और कब्जा करने की कोशिश की। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

7. अंत में निवेदन किया की वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी सं. 1 को 1/3 हिस्सा, वादी सं. 2 को 1/3 हिस्सा व वादी सं. 3 से 5 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर खातेदार कालु भील का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर हम वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खेवटी खतौनी में अंकन फरमाये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें। हम वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी सं. 1 से 6 के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात जिस पर हम वादीगण गत 65 वर्षों से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है, को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे और हम वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, बेदखल नहीं करे, कब्जा नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। एवं प्रतिवादी सं. 7 को पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी सं. 1 से 6 उक्त आराजीयात के संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतू प्रस्तुत करे तो ताफैसला वाद उसका पंजीयन नही करे और प्रतिवादी सं. 8, 9 ताफैसला वाद राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें, किसी प्रकार का परिवर्तन राजस्व रेकर्ड में नहीं करें।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वर्णित आराजियात वर्तमान रेवेन्यू रेकर्ड में हम प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता एवं 4, 5, 6 के दादा कालू के नाम पर अवश्य दर्ज है इन आराजियात के साबिक नम्बर क्या थे यह हम प्रतिवादीगण की जानकारी में नही है। वादीगण स्वयं साबित करावें। वादीगण का सजरा खानदान हमारी जानकारी में नही है। वादीगण स्वयं साबित करावे तथा श्यामलाल की पुत्रिया भी मौजूद है जिनको पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये [illegible] चलने योग्य नही है। दिनांक 15.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

01.49 को 99/– रूपये में कभी भी कालू जी ने जमीन को जयकिशन जी को विक्रय नही की और न ही कब्जा सुपुर्द किया है। विक्रय पत्र फर्जी होकर कुप्रतीत है। हम प्रतिवादीगण भील जाति के होकर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते है। हमारी जमीन को कोई भी अनुसूचित जनजाति के अलावा खरीद नही सकता है इसीलिये वादीगण ने सन् 49 का एक फर्जी दस्तावेज 99/– रूपये का तैयार किया है। साढ़े दस बीघा जमीन का मूल्य कभी भी 99/– रूपये नहीं रहा है। विक्रय पत्र रजिस्टर्ड भी नहीं है। केवल हम अनुसूचित जनजाति के लोगो की जमीन को हडपने की गरज से यह दस्तावेज फर्जी तैयार किया गया है। इसके आधार पर वादीगण को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। लालू जी के वारिस में 5, 6 के अलावा लालू की पत्नी और उसकी बहिन भी मौजूद है वह भी आवश्यक पक्षकार है उनको पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये यह वाद चलने योग्य नहीं है। अगर वास्तव में जमीन पर सन् 49 से वादीगण का कब्जा होता तो 49 के बाद जो सेटलमेन्ट हुआ उसमें रेवेन्यू रेकर्ड में उनका नाम दर्ज हो जाता जो दर्ज नही हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि सन् 49 में कोई आराजी विक्रय नही हुई है। केवल फर्जी विक्रय पत्र बना करके हमारे विरूद्ध यह गलत दावा पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है। कालू के जीवनकाल में ना तो जयकिशन ने कोई कार्यवाही की और न ही वादीगण ने कोई कार्यवाही की जिससे भी यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई विक्रय पत्र कालू ने जयकिशन के पक्ष में नहीं लिखा।

9. यह कि गत सेटलमेन्ट में भी जमीन कालूजी के नाम पर दर्ज थी एवं वर्तमान में भी कालू जी के नाम पर ही दर्ज है। हम प्रतिवादीगण कालूजी के वारिस होकर वर्तमान में जमीन के खातेदार काश्तकार है। इस तरह हमारा मजबूत प्राइमाफैसी केस है। कब्जा भी हमारा है। इस तरह सुविधा सन्तुलन और अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम प्रतिवादीगण के पक्ष में है। ऐसी अवस्था में वादीगण हमारे विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नही है। कब्जा हम प्रतिवादीगण का ही है इसलिये वादीगण का यह लिखना कि कब्जा करने की कोशिश कर रहे है सर्वथा गलत है। हमारे विरूद्ध कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा नही होता है। प्रतिवादी नं. 7, 8, 9 राजकीय कर्मचारी है उनके विरूद्ध

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

बिना 80 जा०दी० का नोटिस दिये वाद नहीं हो सकता है। अंत में निवेदन किया की वादी का वाद गलत होकर वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

10. विशेष कथन मे निवेदन किया की रेवेन्यू रेकर्ड में लम्बे समय से लगाकर आज दिन तक जमीन हम प्रतिवादी के पिता कालू जी के नाम पर खातेदारी हक से चली आ रही है और हम प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत हमारी जमीन किसी भी दृष्टि से वादीगण के खातेदारी में घोषित नही की जा सकती है और हमारे विरूद्ध वाद भी चलने योग्य नही है। उक्त जमीन पर हम प्रतिवादीगण का कब्जा हमारे पिताजी के समय से ही चला आ रहा है। हम प्रतिवादीगण मजदूर पेशा व्यक्ति होकर हमारे जीवनयापन का एकमात्र साधन यही जमीन है। वादीगण इस गलत वाद की आड में हमारा कब्जा छीनना चाह रहे है। इसलिये कानून उनको मदद नही दे सकता है।

11. काउण्टर वाद में निवेदन किया की हम प्रतिवादीगण जमीन के लम्बे समय से खातेदार काश्तकार चले आ रहे है और हम अनुसूचित जनजाति के लोग है। जमीन पर लम्बे समय से हमारा कब्जा है। वादीगण इस मुकदमे की आड़ में हम गरीबो का कब्जा हटाने पर तुले हुए है इसलिये हम प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि वादीगण हम प्रतिवादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा हमारी जमीन में प्रवेश नहीं करें। हमारे पिता/दादा कालूजी का स्वर्गवास आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व हो गया और इस असनाय में प्रशासन गांवो के संग भी गया। फिर भी विरासत से जमीन हमारे नाम पर नही करी हमने रेवेन्यू एजेन्सी को दरखास्त भी पेश की फिर भी हमारे नाम पर नामान्तरकरण नहीं हुआ इसलिये वाद से उक्त आराजियात हमारे पिता कालू के नाम से हटाकर हमारी खातेदारी में घोषित की जावें। बिनाय मुखास्मत काउण्टर क्लेम दिनांक 12.03.14 को उत्पन्न हुआ जब इन्होने हमारे विरूद्ध गलत दावा पेश किया है। अंत में निवेदन किया की काउण्टर वाद स्वीकार किया जावे।

12. वादीगण द्वारा जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त वर्णित कृषि भूमि हमारे मौरूस जयकिशन जी द्वारा क्रय करने के बाद से हमारे मौरूस जयकिशनजी एवं इनकी मृत्यु बाद हमारा कब्जा अधिकार चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण के मौरूस द्वारा जमीन विक्रय करने के बाद से प्रतिवादीगण या इनके मौरूस का कोई कब्जा अधिकार कभी भी नही रहा है और न ही वर्तमान में है ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण का इस जमीन में कब्जा हटाने का कथन सर्वथा मिथ्या एवं कपोल कल्पित है। प्रतिवादीगण हम वादीगण के विरूद्ध किसी भी सूरत में निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नही है। वादीगण एवं इनके मौरूस ग्रामीण परिवेश के रहने वाले होकर अनपढ व्यक्ति है जिन्हें उक्त जमीन अपने नाम पर अंकन कराने की कानूनी जानकारी नही थी जिस वजह से उक्त भूमि अब तक वादीगण / इनके मौरूस के नाम पर दर्ज नही हो सकी परन्तु मौके पर कब्जा वादीगण एवं इनके मौरूस का क्रय की दिनांक से अनवरत चला आ रहा है और शांतिपूर्वक उक्त भूमि पर वादीगण द्वारा काश्त की जा रही है। चूँकि उक्त बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधि. की धारा 42 का भी इस बेचान पर कोई प्रभाव नही है। अंत में निवेदन किया की प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

13. प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान मुकदमा में हम पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा हो गया है और हमें गांव के मौतबीरों ने आपस में समझा दिया हैं। हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा इस प्रकार हुआ है कि उक्त वर्णित आराजी नम्बर 169 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 170 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 171 रकबा 3 बिस्वा, 172 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 173 रकबा 18 बिस्वा, 175. रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, 3351/168 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 10. 17 दस बीघा सत्रह बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान में हम प्रतिवादीगण एवं खेमा पिता कालु भील के नाम पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज मात्र है तथा खेमा भील लाऔलाद फौत हो चुका है जिसके वारिसान हम प्रतिवादीगण ही है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पूर्व में हमारे मौरूस कालु पिता भगा जी भील के नाम पर अंकित थी और हमारे मौरूस कालु पिता भगा जी भील ने अपने परिवार की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिये उक्त वर्णित कुलिया कृषि भूमि को वादीगण के मौरूस जयकिश[illegible] मोती जी नाई को दिनांक 15.01.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

1949 को 99/– निनयानवे रूपये में विक्रय कर कब्जा आपके मौरूस जयकिशन जी को मौके पर सिपुर्द कर दिया था तब से इस जमीन पर हमारे मौरूस व उनके निधनोपरान्त वादीगण का कब्जा सपरिवार सहित चला आ रहा है तथा आज भी उक्त जमीन पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है एवं लाखो रूपये खर्च कर काबिल काश्त जमीन वादीगण ने बनाई। उक्त जमीन पर हम प्रतिवादी के मौरूस कालु पिता भगा भील द्वारा जमीन बेचने के बाद से अर्थात दिनांक 15.01.1949 से हम प्रतिवादी या हमारे मौरूसान का कोई कब्जा अधिकार नही रहा है। वादीगण का कब्जा लगातार निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है व उन्ही के कब्जे काश्त में है। हम पक्षकारान को मौतबीर व्यक्तियों ने आपस में समझा दिया है व अब हम पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है व हम पक्षकारान के मध्य आपसी समझौता हो गया है इसलिये वादीगण के खाते राजस्व रेकर्ड में उक्त जमीन अंकित कराई जावें। ताईद में प्रतिवादी रोडी पिता कालु भील, नाथू पिता कालु भील, इन्द्रमल पिता स्व० लालू भील, पेमा पिता स्व० लालू भील के शपथ पत्र प्रस्तुत है। अंत में निवेदन किया की हम पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश प्रदान कर वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित कराया जावें।

14. प्रकरण/राजीनामें को साबित कराने के लिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहा। इसलिए पत्रावली को साक्ष्यवादी में नियत किया गया। साक्ष्यवादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 वादी स्वयं चुन्नीलाल पिता जयकिशन नाई, गवाह पी.डब्ल्यू 2 शांतिबाई बेवा श्यामलाल, गवाह पी.डब्ल्यू 3 कान्ता पिता श्यामलाल नाई, गवाह पी.डब्ल्यू 4 भंवरीबाई पुत्री जयकिशन, गवाह पी.डब्ल्यू 5 संतोष पिता श्यामलाल, गवाह पी.डब्ल्यू 6 कमलेश पिता श्यामलाल, गवाह पी. डब्ल्यू 7 नानालाल पिता जयकिशन के पेश किए गए। साक्ष्यप्रतिवादी गवाह डी. डब्ल्यू 1 इन्द्रमल पिता लालु भील का प्रस्तुत किया। अधिवक्ता वादी जिरह की गई।

15. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की राजीनामें पर बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामें अनुसार वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता [illegible] वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

हुए अन्य कथनो के साथ लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् दिनांक 13.05.2016 को प्रतिवादीगण रोड़ा, नाथु, इन्द्रमल, पेमा, उदा, गुलाबीबाई, जुमाबाई, राजुड़ीबाई सभी ने वादीगण से आपसी राजीनामा कर वादीगण के वाद पत्र में वर्णित समस्त कथनों का समर्थन करते हुए स्टाम्प कीमती 100/– एक सौ रूपया पर वादीगण के पक्ष में आपसी राजीनामा निष्पादित कर दिया और उक्त आपसी राजीनामा की पुष्टि करते हुए दिनांक 16.05.2016 को न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आदेश 23 नियम 3 जा०दी० के तहत न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से निर्णय किये जाने का निवेदन किया। इसके साथ ही वादीगण ने न्यायालय की अनुमति अनुसार साक्ष्यवादी में वादीगण के एवं गवाहों के सशपथ बयान टाईपशुदा शपथ पत्र के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किये गये जो क्रमशः पीडब्ल्यू–1 चुन्नीलाल, पीडब्ल्यू–2 श्रीमती शांतिबाई, पीडब्ल्यू–3 कांता, पीडब्ल्यू–4 भंवरीबाई, पीडब्ल्यू–5 संतोष, पीडब्ल्यू–6 कमलेश, पीडब्ल्यू–7 नानालाल के बयान पेश किये जिन सभी ने वाद वर्णित कथनों को अपने बयानों में दोहराते हुए पुष्ठि की और वादीगण ने वादाधार दस्तावेज सहित वांछित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायालय की अनुमति से प्रदर्शित करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत किये गये गवाहों से प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कोई जिरह नही की एवं न ही साक्ष्य प्रतिवादी में अपने किसी गवाह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, न ही कोई दस्तावेज पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.1955 को प्रभाव में आया उसमें धारा 42 बी का कोई उल्लेख तत्समय नही था, जिसे दिनांक 22.09.1956 को जोड़ा गया एवं दिनांक 22.09.1956 से 01.05.1964 तक के विक्रय वोईडेबल माने गये तथा दिनांक 01.05.1964 के बाद के विक्रय वोईड माने गये है परन्तु यह विक्रय पत्र एवं विक्रय के आधार पर वादीगण के पूर्वज एवं वादीगण का कृषि कब्जा 1949 के पूर्व का है जो कि प्रस्तुत दस्तावेज से प्रमाणित है जिससे अन्तरण धारा 42 बी से प्रतिबन्धि नही हैं तथा प्रतिवादीगण ने भी उनके पूर्वज द्वारा उक्त भूमि वर्ष 1949 में ही वादीगण के पूर्वज को विक्रय कर कब्जा सौंप देने की [illegible]र आपसी राजीनामा किया और

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय में भी आपसी राजीनामा का आवेदन किया जो रेकार्ड पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार वादीगण ने अपनी और से स्वतन्त्र गवाहान एवं दस्तावेजी साक्ष्य मामले में प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों एवं कथनों को वादीगण पूर्ण रूप से साबित करने में सफल रहे है इसलिये वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री फरमाया जावें। अंत में निवेदन किया की कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री फरमाया जावें। मामले से संबंधित न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ साथ संलग्न हैं।

16. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। राजीनामें का अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रदर्श 3 मौजा पलानाकला तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2017–20 के खाता संख्या 286 पर दर्ज आराजी नम्बर 37/6, 43/4 किता 2 कुल रकबा 5 बीघा भूमि कालु वल्द भगा के नाम खातेदारी हक से दर्ज थी। खाता संख्या 3 पर दर्ज आराजी नम्बर 41/1 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा हीरा, भजा, भोला, कसोर, रोड़ा, भाना, लखा, छगु, पिता वेणा के नाम शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज थी। प्रदर्श – 4 भू–प्रबंध विभाग के मिलान पत्रक संवत 2022 अनुसार आराजी नम्बर 41/1 के शिकमी काश्तकार के बजाय कालू वल्द भगा भील के नाम दर्ज की गई तथा उक्त साबिक आराजी नम्बर 37/6, 41/1, 43/4 के हाल आराजी नम्बर 169, 170, 171, 172, 173, 175 कायम किए गए। भू–प्रबंध विभाग के पर्चा लगान के अनुसार 169, 170, 171, 172, 173, 175, 3351/168 हाल आराजीयात कालू पिता भगा के नाम दर्ज की गई। राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के मौरूस कालू पिता भगा भील के द्वारा वादीगण के मौरूस जयकिशन को 99 रूपये में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया। जिसके संबंध में 1 रूपये के स्टाम्प पर अंकित लिखापढी प्रस्तुत की गई है। न्यायालय का मानना है कि उभयपक्षकारान का राजीनामा स्वीकार योग्य है या नही? इस हेतु निम्न तीन बिन्दुओ पर विचार किया जाना आवश्य है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

1. क्या अपंजीकृत विक्रय पत्र/लिखापढी प्रदर्श 2 ए प्रमाणिक है या नही? यदि प्रमाणिक है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पहले का होने से भी खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है।
2. क्या अपंजीकृत विक्रय पत्र/लिखापढी प्रदर्श 2 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी से बाध्य है या नही?
3. वादी या वादी के मौरूस का विवादित भूमि पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने का वर्ष 1955 के पूर्व से ही इस भूमि पर कब्जा है या नही?

17. इस संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष है कि एक रूपये के स्टाम्प के अनुसार दिनांक 15.01.1949 को आराजी नम्बर 37, 41, 43 कुल किता 3 कुल रकबा 10 बीघा 10 भूमि 99 रूपये में खरीदने का अंकन है। जिस पर वादीगण ने अपना कृषि कब्जा संवत् 2006 (सन् 1949) से ही होना बताया। प्रदर्श 2 ए विक्रय पत्र को लिखने वाले मोहनदास पिता गणेशदास वैरागी का पत्रावली में शपथ पत्र प्रदर्श 25 प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्वयं मोहनदास पिता गणेशदास स्वीकार कर रहा है कि दिनांक 15.01.1949 को मैने स्वयं एक बिकावनामा कालु भील पिता भग्गा भील गौत्र काला हुआ निवासी ग्राम रामपुरिया मजरा पलाना खुर्द तहसील मावली जिला उदयपुर के कहने से बिकावनामा श्री जयकिशन पिता मोतीलाल नाई एवं उनके पुत्र चुन्नीलाल नाई, नानालाल नाई, श्यामलाल नाई निवासी पलानाकला के पक्ष में आराजी नम्बर 37 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 41 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 43 रकबा 4 बीघा कुल किता 3 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा है जिसकी किमत 99 रूपये बेचान को देने का बिकावनामा अपने स्वयं के हाथ से लिखा है। अर्थात उक्त बिकावनामा लिखने वाला यह स्वीकार कर रहा है कि उक्त बिकावनामा खातेदार कालु भील पिता भगा भील के कहने पर मैंने लिखा है। साथ ही राजीनामे अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि को हमारे मौरूस कालू भील द्वारा विक्रय किया गया है। ऐसे अपंजीकृत विक्रय पत्र जिसका प्रमाणीकरण स्वतंत्र साक्ष्यों ने किया है इसलिए प्रदर्श डाला जाकर रिकार्ड पर रखा गया फिर भी प्रकरण में धारा 42 बी के प्रावधानों के परिपक्ष्य में ऐसे अपंजीकृत विक्रय पत्र का अन्य सहायक साक्ष्य [illegible] स्व रेकार्ड से प्रमाणीकरण होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक है। प्रदर्श 9 ए से 24 ए लगान रसीद काश्तकार का नाम कालू नाम अंकित है परन्तु लगान जमा कराने के हस्ताक्षर जयकिशन अर्थात वादीगण के मौरूस के है। अर्थात कृषि कब्जा रखने वाला आसामी ही लगान जमा कराता था इसलिए लगान जमा कराने वाले के हस्ताक्षर है एवं ये रसीदें भी वादीगण के कब्जे में होने से उसी ने प्रस्तुत की हैं, जो प्रदर्श 2 ए अपंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम् से प्रतिवादीगण के मौरूस द्वारा वादी के मौरूस के पक्ष में किये गये विक्रय हस्तान्तरण को प्रमाणित करती है एवं यह विक्रय हस्तान्तरण 1955 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का होने एवं धारा 42 बी अस्तित्व में नहीं होने से विक्रय हस्तान्तरण वैद्य है। उक्त वर्णित लगान की रसीदों से विशेष तौर से प्रकट हो रहा है कि इस भूमि का कब्जा वादीगण के मौरूस जयकिशन का है इसलिए इस भूमि का लगान प्रदर्श 9 ए से 24 ए अनुसार वादीगण के मौरूस ने जमा कराया। अपंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर अपीलार्थी के नाम भूमि का खाता अन्तरित नहीं होने के कारण खातेदार की जगह प्रतिवादीगण का नाम लिखा रह गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियन 15–10–1955 को प्रभाव में आया उसमें धारा 42 बी का कोई उल्लेख तत्समय नहीं था, जिसे 22–9–1956 में जोड़ा गया एवं 22–9–56 से 1–5–64 तक के विक्रय वोईडेबल माने गये हैं, परन्तु यह विक्रय पत्र एवं विक्रय के आधार पर अपीलार्थी का कृषि कब्जा 1955 के पूर्व का प्रमाणित हो रहा है, जिससे अन्तरण धारा 42 बी से प्रतिबन्धित नहीं है। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वादीगण का है। इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत का सद्भावनापूर्वक उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा जो इस प्रकार हैः–

ए.आई.आर. 1996 सुप्रिम कोर्ट पेज 1253

"Evidence Act (1 of 1872), S.90 - Document 30 years old Presumption of genuineness Object. Section 90 of the Evidence Act is founded on necessity and convenience because it is extremely difficult and sometimes not possible to lead evidence to prove handwriting, signature or execuation of old documents after elapse of thirty years. In

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

order to obviate such difficulties or improbabilities to prove execution of an old document, Section 90 has been incorporated in the Evidence Act, which does away with the strict rule of proof of private documents. Presumption of genuineness may by raised if the document in question is produced from proper custody. It is, however, the discretion of the Court to accept the presumption Dowing from Section 90.. There is, however, no manner of doubt that judicial discretion under Section 90 should not be exercised arbitrarily and not being informed by reasons.

इस न्यायिक दृष्टान्त अनुसार भी 30 वर्ष पूर्व लिखे गय दस्तावेजों को यदि कोई व्यक्ति बयान देकर प्रमाणित कर देता है तो इन दस्तावेजों को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता।

Citation 2009 DNJ (Raj.) 1571

RAJASTHAN HIGH COURT [JAIPUR BENCH]

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 42-Transfer of land by member of SC/ST in favour of member of non-SC/ST-Land transferred in 1958-Provision of Sec. 42 incorporated in 1964 but no retrospective effect given-Held, Provision of Sec. 42 cannot be applied to transfer made in 1958-Order of Single Judge is liable to be set aside. [Paras 5 to 8]

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955—धारा 42—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा गैर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य के पक्ष में भूमि का अन्तरण—भूमि 1958 में अन्तरित की धारा 42 के प्रावधान 1964 में अन्तःस्थापित किये गये बल्कि भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया—निर्णित, 1958 में किये गये अन्तरण पर धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं किये जा सकते एकल न्यायाधीश का आदेश अपास्त होने योग्य है।

उक्त न्यायिक दृष्टान्तों अनुसार वादी के मौरूस एवं वादीगण के पक्ष में लिखा गया विक्रय पत्र प्रमाणित माना जायेगा। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 15—10—56 को प्रभाव में आया उस समय धारा 42 बी अस्तित्व में नहीं था एवं दिनांक 1—5—64 के पूर्व के मौरूस में जाति, जनजाति के द्वारा अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

जाति के व्यक्तियों को किये गये विक्रय हस्तान्तरण साक्ष्य के आधार पर मान्यता प्रदान कर दिनांक 1–5–64 के बाद के विक्रय हस्तान्तरण ही अवैध घोषित किये गये है।

इसी तरह राजस्थान सरकार धारा 175 में इस तरह के धारा 42 बी के विपरीत निष्पादित विक्रय पत्रों के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर भूमि को राजकीय भूमि घोषित कर सकती है परन्तु इस प्रकरण में तो भूमि का विक्रय सन् 1949 का होना प्रमाणित है इसलिए अब 30 वर्ष से ज्यादा समय बीतने के बाद इस भूमि के लिए भूमिधारी तहसीलदार जिसने आज दिन तक भी धारा 175 का वाद अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए धारा 175 का वाद प्रस्तुत करने के लिए भूमिधारी तहसीलदार भी अधिकृत नहीं रहे हैं।

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी से बाधित नही होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। स्टाम्प में अंकित अनुसार उक्त भूमि 99 रूपये में क्रय की गई थी। परन्तु उभय पक्षकारान द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो की वादग्रस्त भूमि की कीमत तत्कालीन समय में डी.एल.सी. दर से 99 रूपये ही हो। इसलिए उक्त भूमि की कीमत 99 रूपये नही माना जा सकता है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि 100 रूपये से अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (Registration) कराया जाना आवश्यक होगा।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि मौजा पलानाकला पटवार हल्का पलानाकला तहसील [illegible] के आराजी नम्बर 169, 170, 171,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

172, 173, 175, 3351/168 किता 7 कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 10 से 12 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1, 2, 7 प्रत्येक को 1/4 हिस्से से तथा वादी संख्या 3 से 6 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा 100 रूपये से अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (Registration) कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीयन के पश्चात ही डिक्री की पालना राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार द्वारा की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री चुन्नीलाल पिता जयकिशन जी जाति नाई आयु 70 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री नानालाल पिता जयकिशन श्जी जाति नाई आयु 65 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री कमलेश पिता स्व. श्यामलाल जी जाति नाई आयु 35 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री सन्तोष पिता स्व. श्यामलाल जी जाति नाई आयु 29 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती शान्तीबाई पत्नी स्व. श्यामलाल जी जाति नाई आयु 23 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
6. कान्ता पुत्री स्व. श्यामलाल जी जाति नाई आयु 32 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
7. भंवरीबाई पुत्री जयकिशन जी जाति नाई आयु 75 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)

.....वादीगण

बनाम्

1. रोड़ा पिता कालु जी जाति भील, आयु 70 वर्ष, निवासी पलानकला, तहसील मावली जिला उदयपुर। (राज.)
2. नाथु पिता कालु जी जाति भील, आयु 65 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
3. खेमा पिता कालु जी जाति भील, आयु 50 वर्ष, निवासी पलानाकलॉ, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.) तर्क किया
4. इन्द्रमल पिता स्व. लालु जी जाति भील, आयु 45 वर्ष, निवासी पलानाकलॉ, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
5. पेमा पिता स्व. लालु जी जाति भील, आयु 40 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिल्ला उदयपुर (राज.) तर्क किया।
6. उदा पिता स्व. लालु जी जाति भील, आयु 35 वर्ष, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
7. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय मावली जिला उःगपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज.)
9. पटवारी पटवार हल्का पलानाकला तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested

10. गुलाबीबाई पुत्री कालु जी पत्नी उदा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पलानाकला, हा० भारोड़ी, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज)
11. जुमाबाई पुत्री स्व.लालु जी पत्नी पेमा जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पलानाकला, हा० छठठा मिल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजभमन्द (राज.)
12. राजुड़ीबाई पत्नी स्व. लालु जी जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पलानाकला, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी.

राजस्व वाद संख्या : 74/16 (वाद)
GCMS No. : 2014/00515

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि मौजा पलानाकला पटवार हल्का पलानाकला तहसील मावली के आराजी नम्बर 169, 170, 171, 172, 173, 175, 3351/168 किता 7 कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 10 से 12 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1, 2, 7 प्रत्येक को 1/4 हिस्से से तथा वादी संख्या 3 से 6 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा 100 रूपये से अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (Registration) कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीयन के पश्चात ही डिक्री की पालना राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार द्वारा की जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.10.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:43 IST
Reason: SelfAttested